


“आदेश”

श्री दर्शनपाल सिंह निवासी आर0एस0डी0 पब्लिक स्कूल के पास रामपुरी उत्तरी मुजफ्फरनगर द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर वार्ड सं0 15 का नाम रामपुरी उत्तरी व वार्ड संख्या-16 का नाम रामपुरी दक्षिणी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत आपत्ति पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मु0नगर एवं नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर से परीक्षण आख्या प्राप्त की गयी। अधिशासी अधिकारी एवं नगर मजिस्ट्रेट मु0नगर द्वारा अपनी संयुक्त परीक्षण आख्या दिनांक 27.4.2017 में उल्लिखित किया गया कि वार्ड के परिसीमन शासनादेश सं0-869/ 9-1-2017-02 निर्वाचन/2017 दिनांक 04 अप्रैल 2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया गया है। विभागीय त्रुटि के कारण वार्ड सं0 15 रामपुरी दक्षिणी व वार्ड संख्या-16 रामपुरी उत्तरी लिखे जाने के कारण वार्ड संख्या-15 रामपुरी उत्तरी व वार्ड संख्या-16 रामपुरी दक्षिणी होने का उल्लेख करते हुए शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक होना लिखा है।

अतः अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर एवं नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर की संयुक्त परीक्षण आख्या से सहमत होते हुए वार्ड संख्या-15 का नाम रामपुरी उत्तरी एवं वार्ड सं0-16 का नाम रामपुरी दक्षिणी तदनुसार संशोधित किया जाता है।


 15.17.
 (जी0एस0प्रियदर्शी)
 जिलाधिकारी,
 मुजफ्फरनगर